



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 79-अ0प्र0(ब) / पा0का0लि0 / 2012-36-विविध/ 2ब / 08

दिनांक: 01 सितम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त हेतु स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं0	नाम / अभियन्ता सं0/ गृह जनपद	सहायक अभियन्ता पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय / स्थान	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पीयूष कान्त पाण्डेय* 91016 / गाजीपुर	सहायक अभियन्ता, 400केवी उपकेन्द्र परिकल्पन मण्डल, लखनऊ।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड।
2	श्री निसार अहमद 90003 / देवरिया	सहायक अभियन्ता, विद्युत भण्डार केन्द्र, पड़रौना।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड।
3	श्री सौरभ अग्रवाल 97084 / गाजियाबाद	सहायक अभियन्ता (मी0) विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-2, मुरादाबाद।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड।
4	श्री राकेश कुमार 97087 / लखनऊ	सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, लखनऊ।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

*क्रमांक-1 पर उल्लिखित सहायक अभियन्ता श्री पीयूष कान्त पाण्डेय के अधिशासी अभियन्ता के पद प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में अन्तिम आमेलन के विरुद्ध निवेशित याचिका संख्या 8913(एस/बी)/2006 में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0पावर0का0लि0, लखनऊ, का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिरो की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

4— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्यभार से तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।

5— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900-प्रशि0-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

२०१५.


प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 79(1)अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव / समस्त निदेशक / अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध प्रबन्ध, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्रल, आगरा / मध्यान्ध्रल, लखनऊ / पूर्वान्ध्रल, वाराणसी / पश्चिमान्ध्रल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड / केऱको, कानपुर।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव (गोपन) / (प्रशिक्षण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारीगण / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल / नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव
